

## 7. परीक्षा पाठ्यक्रम –

खाद्य निरीक्षक की भर्ती हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 से संबंधित जानकारी, विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन-छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान/चावल का उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण, छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा और सौर्वभौम पीडीएस, छत्तीसगढ़ में पीडीएस के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाएं तथा कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान से संबंधित कुल 200 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे जिसके चार विकल्प में से एक सही होगा।

पाठ्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है—



### 1. सामान्य ज्ञान (150 अंक) –

- गणित, विज्ञान, भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जानकारी।
- वर्तमान की समसामयिक घटनाएं।

### 2. अन्य (50 अंक)–

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 से संबंधित जानकारी, विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन-छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान/चावल का उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण, छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा और सौर्वभौम पीडीएस, छत्तीसगढ़ में पीडीएस के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाएं तथा कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान।

परीक्षा निर्देश – व्यापम द्वारा जारी परीक्षा निर्देश व्यापम की वेबसाइट [Vyapam.cgstate.gov.in](http://Vyapam.cgstate.gov.in) पर उपलब्ध है।

अपर संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.  
संचालनालय, नया रायपुर

